



1554  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0442/O.A. No. 451/2024

दिनांक:-

Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail-judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 451/2024, Sampurna Nand Vs Basant Kumar (Formerly known as Raj Associates Crusher Plant).


Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 451/2024, Sampurna Nand Vs Basant Kumar (Formerly known as Raj Associates Crusher Plant), the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

**Encl.:** As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

**Endt. No. & date as above.**

**Copy to:-**

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer  
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 451/2024 Sampurna Nand Versus M/s Raj Associates Crushers Plant & Ors.

1. UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers M/s Basant Kumar formerly known as M/s Raj Associates, Sonpur, Mirzapur vide Letter dated-12.01.2024, which had received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated-31.01.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of previous CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Partially Installed	As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice.  UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	Yes	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).

5. The presentation sent by the industry against closure order was received on dated-08.04.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-4).
6. UPPCB conducted field visit on dated 15.04.2024 to verify complying status of previous CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Yes	As per inspection report dated 15.04.2024, recommendation to revoke the closure order dated-19.02.2024 sent to head quarter, Lucknow. It is under consideration as per records. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	Yes	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	Yes	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	Yes	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	Yes	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	Yes	

7. Detail Inspection report dated-15.04.2024 is attached herewith (Annexure-5).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

  
04/05/2024

(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
U.P.P.C.B  
Sonbhadra



1557

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H05682-K-2/NGT-67/SCN/24

सेवा में,

दिनांक

Date 12/1/24

पंजीकृत

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,  
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,  
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्वाचित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त, निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com


प्रतिपत्ति  
Mukesh Singh  
19.01.24  
9560984062

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
T.C. - 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

# Basant Kumar

STONE CRUSHER

1558



31/01/2024  
Address

Sonpur(PNC Mod), Ahraura,  
Chunar Road Mirzapur U. P.

Mob. : 8789050896, 821458714, 7909004564  
E-Mail : kbasant879@gmail.com

GSTIN:09ATLPK4979L1ZQ

Ref.....

Date.....

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

विषय: मे० माँ बसन्त कुमार(पूर्व नाम मे० राज एसोसिएट क्रशर प्लांट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६८२/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६८२/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप करने की कृपा करें।

भवदीय

*Basant Kumar*  
(बसन्त कुमार)


प्र० मे० बसन्त कुमार, मीरजापुर

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(बसन्त कुमार)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 529058

2 Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh  
Notary - Sonbhadra

शपथ-पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

मैं बसन्त कुमार पुत्र श्री चन्दर प्रसाद, निवासी-कैलाश नगर, गली नं०-1, सासाराम, रोहतास (बिहार) का मूल निवासी हूँ। मेसर्स बसन्त कुमार(पूर्वनाम-मे० राज एसोसिएट क्रशर प्लांट), सोनपु, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर का प्रोपराइटर हूँ। उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६८२/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:-

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

कमशः.....२/.....पर

Basant Kumar



प्लान का क्रम नं. 1849  
प्लान दिनांक 20-1-2024  
प्लान कर क्र. 25  
प्लान का नाम  
प्लान की संख्या (100)

बसन्त कुमार शशीराम चन्द - पति एवं मालिक  
महल सासाराम इलाहाबाद

नोटरीय ऑफिस  
नं. 142  
बिजनगर

Basant Kumar

बसन्त कुमार  
31.1.24

Basant Kumar  
was identified by shri. Pan  
appeared before me on 31.01.24  
at ... and stated that he  
understands the contents mentioned in  
the affidavit ... which are  
true and correct and he is ready to be



346

(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.
17. Industry has maintain logbook of consumed electricity for measurement of quantity of water consumption.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 17 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशोंहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक-30.01.2024



ह0 शपथग्राही

Basant Kumar

(बसन्त कुमार)

मे0 बसन्त कुमार(पूर्व नाम-राज एसोसिएट क्रशर प्लांट)  
मीरजापुर



**क्षेत्रीय कार्यालय,**  
**उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र**  
**REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,**  
**SONBHADRA**

संदर्भ सं० जी०० १५/०११०-५२१/५-८/२०२४

दिनांक-०८.०२.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२)  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:** मेसर्स बसन्त कुमार(पूर्व नाम मे० राज एसोसिएट क्रशर प्लांट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६८२/सी-२/एन०जी० टी०-६७/एस०सी०एन०/२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-०८.०२.२०२४ को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक-२७.०७.२०२२ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-०८.०२.२०२४ द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स-बसन्त कुमार(पूर्व नाम मे० राज एसोसिएट क्रशर प्लांट, ग्राम-सोनपुर, परगना- भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर १४६ दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० ०९,१२,५००.०० (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या १६२ उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-२३१२१६

House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216

Email-rosombhadra@uppcb.in

मेसर्स बसंत कुमार पूर्वनाम-राज एसोसिएट्स (क्रशर प्लाण्ट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H05682/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आराजी संख्या-144मि पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को-आर्डिनेट्स 25.048500-अक्षांश एवं 82.002103-देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रेट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रेट की उत्पादन क्षमता 200 टन/घण्टा सूचित है।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।



4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया।

क्रमशः 2/पर....

*(Handwritten signature)*

(2)

6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।
7. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार सहमति शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।
8. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05682/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
9. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।
10. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक-27.07.2022 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0-160019/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-27.07.2022 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक-08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
11. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 तक अर्थात् 218 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 146 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**



क्रमशः 3/पर....

(3)


Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)****N =146 (No. of days from which the non-compliance has been observed)****R = 250 (R factor in Rupees)****S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)****LF=1.0 (Location Factor= 1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

$$\begin{aligned}
 \text{Environmental Compensation(EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\
 &= 50 \times 146 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\
 &= \text{Rs. 9,12,500/- (Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only.}
 \end{aligned}$$

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स बसंत कुमार पूर्वनाम-राज एसोसिएट्स (क्रशर प्लाण्ट), ग्राम-सोनपुर, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05682/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर 146 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु ₹0 9,12,500.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

  
 (यूके0 गुप्ता)  
 क्षेत्रीय अधिकारी

**Basant Kumar**  
STONE CRUSHER



GSTIN: D9ATLPR4979L1ZQ

Sonpur (PNC Mod), Ahraura,  
Chunar Road Mirzapur U. P.

Mob: ~~9876543210~~, 821454714, 7909004564  
E-Mail: kbasant879@gmail.com

Ref:

Date: 04/04/2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

**विषय:** मेसर्स बसंत कुमार (पूर्व नाम मे० राज एसोसिएट क्रशर प्लांट), ग्राम-सोनपुर परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी बंदी आदेश संदर्भ संख्या-एच०७२१३/सी-२/एन०जी०टी०-६७/२४ दिनांक-19.02.2024 को निक्षेप किये जाने एवं संदर्भ संख्या-एच०७२२५/सी-२/एन०जी०टी०-६७/२४ दिनांक-19.02.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०७२१३/सी-२/एन०जी०टी०-६७/२४ दिनांक-19.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि क्रशर उद्योग मेसर्स बसंत कुमार (पूर्व नाम-मेसर्स राज एसोसिएट क्रशर प्लांट) का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया तथा पाया गया कि स्टोन क्रशर इकाई समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही संचालित है, तथा इकाई द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी जॉ क्रशर, सेकेण्ड्री जॉ क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अंतिम छोर को पूर्णतः कवर्ड करना, डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना कर लिया गया है। उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था स्थापित कर ली गयी है एवं वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा हेतु स्थापित फ्लोमीटर का सतत संचालन किया जायेगा तथा लॉगबुक मेंटेन कर लिया गया है जिसका नियमित रूप से रख-रखाव किया जायेगा, जिसको भविष्य में निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जायेगा। उद्योग परिसर में मेटल रोड/कंक्रीट रोड का निर्माण कर लिया गया है। उद्योग को निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्त/राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुरूप हरित पट्टिका का विकास कर लिया गया है। उद्योग के संचालन हेतु राज्य बोर्ड के ऑनलाइन संदर्भ संख्या-160019/UPPCB/Sonebhadra (UPPCBRO)/ CTO/ both/MIRZAPUR/2022 दिनांक-27.07.2022 द्वारा सहमति आदेश निर्गत किया गया था। निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है तथा अनुपालन आख्या राज्य बोर्ड एवं मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली को इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (प्रति संलग्न)।

क्रमशः.....२/.....पर

*Basant Kumar*

Scanned with ACE Scanner



Scanned with OKEN Scanner

**Basant Kumar**  
STONE CRUSHER

GSTIN:09ATLPK4979L1ZQ



Sonpur(PNC Mod), Ahrara  
Chunar Road Mirzapur U. P

Mob : 8789050896, 821458714, 7909004564

E-Mail : kbasant879@gmail.com

(2)


Ref.....

Date .....

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए महोदय आपसे अनुरोध है कि उद्योग को जारी बंदी आदेश संदर्भ संख्या-एच07213/सी-2/एन0जी0टी0-67/24 दिनांक-19.02.2024 को निक्षेप करने की कृपा करें। क्रशर उद्योग का संचालन बंद होने एवं आर्थिक स्थित ठीक न होने कारण राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-एच07252/सी-2/एन0जी0टी0-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 9,12,500(रू0 नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) जमा नहीं किया जा सका है। उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा किये जाने हेतु अग्रिम 01 माह का समय प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(बसंत कुमार)  
मे0 बसंत कुमार(पूर्वनाम मे0 राज  
एसोसिएट क्रशर प्लाण्ट),  
मीरजापुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी बंदी आदेश दिनांक-19.02.2024 निक्षेप करने की कृपा करें।

(बसंत कुमार)

From

Dated-04.04.2024

**BASANT KUMAR**

M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)  
ARAZI NO.144MI, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT,  
TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR (U.P.)

To,

**The Regional Officer**

U.P. Pollution Control Board,  
House No. 162, Uttar Mohal,  
Robertsganj, Sonbhadra-231216

**Ref: Letter No.160019/UPPCB/Sonbhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 Dated-27.07.2022**

**Subject: Compliance of CTO Conditions for Stone Crushing Unit of M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT), ARAZI NO.144MI, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR District-Mirzapur (U.P.)**


Dear Sir,

This is to inform you that our project has accorded Consent to Operate (Consent Order) for the above-mentioned location, **Letter No. 160019/UPPCB/Sonbhadra(UPPCBRO)/CTO/both/MIRZAPUR/2022 Dated-27.07.2022**. We are submitting the Point wise compliance of the stipulated General and specific conditions mentioned in the CTO.

We assure that the compliance of the conditions given by you and will be strictly followed with the progress of the project on letter & spirit.

Thanking you

Yours Sincerclly,

  
**BASANT KUMAR**

M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT),

Copy to:

1. The Registrar, Hon'ble National Green Tribunal, Copernicus, New Delhi.  
(E mail-judicial-ngt@gov.in).
2. Chief Environmental Officer(C-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.



**Project  
Stone Crushing Unit  
At**

**M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)**  
ARAZI NO.144MI, VILLAGE-SONPUR, PARGANA BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-  
MIRZAPUR (U.P.)

**COMPLIANCE REPORT**

**PROJECT PROPONENT**

**BASANT KUMAR**  
**M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)**

**ARAZI NO.144MI, VILLAGE-SONPUR, PARGANA- BHAGWAT,  
TEHSIL-CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)**

page-1

*Basant Kumar*

## STONE CRUSHING UNIT

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

**Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026**

## CONDITIONS OF CONSENT(AIR)

1. This consent is valid only for the approved production capacity of Stone Gritts & Stone Dust-200 TPH
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approved before making any modification in products in product/process/fuel/plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a). The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.
- 3(b). air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No.	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1.	PROCESS EMISSION	NA	00	Particulate Matter	Covering of all process emission sources and regular water sprinkling.
2.	D.G. SET-600 KVA. 01 NO.	DEISEL	01	Particulate Matter	As per Standard


3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board.

Emission Quality Details			
S.No.	Stack No.	Parameter	Standard
1.	00	Particulate Matter	600 MICROGRAM/CU.METER
2.	01	Particulate Matter	As per Standard

S.No.	Conditions	Compliance
4	Quantity of other Pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory	Noted and Agreed
5.	The equipment for air pollution control system and monitoring as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself.	Noted and Agreed
6.	The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board	Noted and Agreed

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-2




## STONE CRUSHING UNIT

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026


S.No.	Conditions	Compliance
7	The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory	Noted and Agreed
8.	Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory.	Noted and Agreed
9.	The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month for issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order. Further quarterly monitoring report should be submitted.	Noted and Agreed

## Specific Conditions:

S.No.	Conditions	Compliance
1.	This consent to operate is granted to M/s BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT), for production of Stone Grits of different sizes @ 200 TPH using stone boulder as raw material at ARAZI NO.144 MI, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL CHUNAR, DISTRICT-MIRZAPUR, 231304 (U.P.)	Noted and Agreed
2.	The Coordinate of the industry is 25.048500N, 82.002063 E	Noted and Agreed
3.	Industry shall comply the direction issued by the Board vide its letter No. H77537/c-2/Vayu-514/22 dated 22.06.2022 and submit the compliance report within 02 months, otherwise the closure order issued by the Board will automatically be enforce after 06 months for referred date of the letter without any information.	Complied
4.	As per Balance sheet submitted with application form the Total Project cost of the Unit is between 01 Crore to 10 Crore. Industry has submitted Consent fee of Rs. 100000.00 via Online mode, which seems valid for th consent upto 31.07.2026	Noted and Agreed
5.	Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/plant & machinery, failing which consent shall be deemed void.	Noted and Agreed
6.	The Industry shall comply with any other conditions laid down or directions issued in due course by the Board under the provisions of the Air & Water Act.	Noted and Agreed

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-3




## STONE CRUSHING UNIT

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)


CTO Compliance Report

Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026

7.	The industry shall ensure to discharge the effluent generated from domestic sources through septic tank and soak pit.	Noted and Complied
8.	The unit must comply the directions/Guidelines issued from time to time of Central Pollution Control Board, U.P. Pollution Control Board, Hon'ble Oversight Committee, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal and Hon'ble Supreme Court of India	Noted and Agreed
9.	The industry shall install separate energy meter at bore well for measuring electric consumption in bore well	Noted and Complied
10.	Industry shall install <b>04 Nos.</b> stationary Anti Smog Guns at each corner of crusher area and 01 Nos. mobile Anti Smog Gun for dust suppression in the premises as well as on approach road to suppress the dust generated from crushing, loading/unloading of product and movements of the vehicles as an extra auxiliary arrangement	Noted and Complied
11.	This Consent of the industry is automatically considered abrogated after receiving public grievances against the industry and the confirmation of the complaint.	Noted and Agreed
12.	The industry shall install air pollution control measures as mentioned below: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Closed metal sheet enclosures at dust emitting point's i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyors, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors</li> <li>2. All openings provided for ventilation in the enclosures shall be covered by canvas bag filter to arrest the escaping dust</li> <li>3. All belt conveyors shall be covered by the industry</li> <li>4. Dust conveyer shall be equipped with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading of the product, Stone dust and any other fine dust.</li> <li>5. A minimum 12 feet high metal sheet barricading/boundary wall as wind braking wall shall be provided by the stone crusher</li> </ol>	Noted and Agreed

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-4




## STONE CRUSHING UNIT

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026

S.No.	Conditions	Compliance
	<p>6. Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/ products and transfer points shall be adopted as an auxiliary air pollution control measure.</p> <p>7. Green belt along the boundary wall shall be developed by stone crusher in at least three layers</p> <p>8. Metallic road shall be installed inside the premises with Regular wetting of the ground within the factory premises.</p>	Noted and Agreed
13.	Industry shall provide sufficient no. of Helmets, Gumboots, Goggles, and Masks etc. to the workers for their safety.	Noted and Complied
14.	The suspended particulate matter (SPM) between 3 to 10 meters from any process equipment of Stone Crusher unit shall not exceed 480 g/Nm <sup>3</sup> .	Noted and complied
15.	Industry shall install closed bag/cloth enclosures at both crushers including their discharge points and the transfer points of belt conveyors with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance within 15 days.	Noted and complied
16.	For green belt at least 8 feet height plants should be planted which shall be properly protected as proper irrigation and manuring arrangements shall be made. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt. 16-02-2018 shall be complied. Green belt along the boundary wall shall be developed by stone crusher.	Noted and complied
17.	Industry shall comply the all conditions mentioned in previous CTE/CTO's issued by the Board.	Noted and complied
18.	Industry shall abstract Ground Water with the valid permission (NOC) of the competent Authority/CGWA or any other concerned authority	Noted and complied
19.	The industry shall strictly comply the directions/guidelines/Environmental norms as prescribed by State Board for CPAs and SPAs vide office memorandum no. H 48273/C1/vb NGT83/2020, Dated 27.02.2020.	Noted and agreed
20.	This consent is valid for discharge of domestic effluent in Septic Tank/Soak Pit.	Noted and Complied

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-5




## STONE CRUSHING UNIT

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)


CTO Compliance Report

Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026

S.No.	Conditions	Compliance
21.	If, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA.	Noted and agreed
22.	Industry shall maintain D.G. Set Stack height as per Board Norms & and in Enclosure or Canopy.	Noted and Complied
23.	The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board	Noted and agreed
24.	Industry shall comply the all conditions mentioned in previous CTE/CTO's issued by the Board.	Noted and agreed
25.	Industry shall abstract ground water with the valid permission (NOC) of the competent Authority.	Noted and agreed
26.	The industry shall strictly comply the directions/guidelines/Environmental norms as prescribed by State Board for CPAs and SPAs vide office memorandum no. H 48273/C1/NGT83/2020, Dated 27.02.2020	Noted and agreed
28.	It is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.	Noted and agreed
29.	The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA	Noted and agreed
30.	Industry shall maintain D.G. Set Stack height as per Board Norms & and in Enclosure.	Noted and agreed
31.	The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board	Noted and agreed

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-6



**General Conditions:-****STONE CRUSHING UNIT**

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

**Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026**

S.No.	Conditions	Compliance
1.	The applicant shall get analyse the samples of effluent/emissions/hazardous wastes at least once in a three month fom the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.	Noted and agreed
2.	The applicant shall however, not without the prior consent off the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.	Noted and complied.
3.	The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.	Noted and complied.
4.	The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof	Noted and complied.
5.	The industry shall provide uninterrupted entry to the STPs/ETPs inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures	Noted and complied.

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-7


**STONE CRUSHING UNIT**

Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

**Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026**

S.No.	Conditions	Compliance
6.	The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.	Noted and agreed
7.	Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect	Noted and complied.
8.	The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.	Noted and complied
9.	In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority	Noted and complied
10.	The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point	Noted and complied
11.	The Board reserves the right to revoke/ add/ modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.	Noted and complied
12.	The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the Board	Noted and complied
13.	Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization	Noted and complied
14.	It is the duty of the authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.	Noted and complied
15.	The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.	Noted and complied
16.	The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on Display Board of size 6x4 feet outside the main factory gate within premises	Noted and complied

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-8

STONE CRUSHING UNIT

*Basant Kumar*



Location: LAT-25.048500, LONG-82.002103  
 ARAZI NO. 144MI, VILLAGE-SONPUR  
 PARGANA BHAGWAT,  
 Tehsil- CHUANR, DISTRICT-MIRZAPUR(U.P.)

CTO Compliance Report

**Validity Period: 27.07.2022 To 31.07.2026**

S.No.	Conditions	Compliance
17.	It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.	Noted and agreed
18.	The applicant shall maintain record of hazardous waste in Form-3 and shall submit annual return in Form-4 on or before the 30th day of June following to the financial year to which that return relates	Noted and Agreed.
19.	Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed physical and chemical analysis of hazardous waste sample and report to the Board.	Noted
21.	Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it. 22.The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating "Danger" and "Hazardous" shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English	Noted
22.	The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be sold only to Registered Recyclers/Re-processors.	N/A
23.	In case of any transportation of hazardous waste, the details in Form-10 of the Hazardous and Other Wastes Rules, 2016 shall be submitted to the Board	N/A
24.	In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored	Noted

Project Proponent: BASANT KUMAR (EX NAME- RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT)

page-9

*Basant Kumar*



# क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र



पत्रांक:—जी०३६३/एन-१५४१/एम०जेड०पी०/सी०टी०ओ०/२०२४

दिनांक—१५.०४.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-२),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी० १२, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विशय:—**मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-३१ए के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-H07226/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-३१'ए' के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया था। उद्योग द्वारा प्रेषित अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त सन्दर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-15.04.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन, ग्राम-भगौतीदेई पोस्ट-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H07226/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-३१'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:—

- I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा प्रत्यावेदन में अंकित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन०ए०बी०एल० एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका ०३ माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर स्पिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाँटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाय।

**संलग्नक—**उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी



मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन, ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त उद्योग मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुरके विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H07226/C-2/NGT-67/24दिनांक-19.02.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत बंदी आदेशके अनुपालन में दिनांक-06.03.2024 को सील/सीज किया जा चुका है। उद्योग द्वारा उक्त बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-15.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

- 1- उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुरपर स्थापित होना सूचित है। निरीक्षण के दौरान उद्योग के डग के समीप का जिओ को-ऑर्डिनेट्स 25.060722-अक्षांश एवं 82.997878-देशान्तर पाया गया।
- 2- उक्त उद्योग मे कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रेट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रेट की उत्पादन क्षमता 200 टन/घण्टा सूचित है।
- 3- निरीक्षण के समय पायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण निम्नवत् हैं:-

- i. उद्योग के संयंत्र-निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर टेलिस्कोपिक सूट के प्रतिस्थानी के रूप में कैनवास क्लथ एवं प्लास्टिक ड्रम की स्थापना निरीक्षण के समय पायी गयी।



कृप

क्रमशः 2/पर....



(2)

ii. डस्ट सप्रेसनकी व्यवस्था— निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा प्राइमरी जॉ क्रशर सेकेण्ड्री जॉ क्रशर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन (झरना) पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। उद्योग उद्योग में संयंत्रों एवं डस्ट सप्रेसन स्रोतों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।

iii. जल खपत मापन हेतु फ्लो मीटर की व्यवस्था—

उद्योग में वाटर स्प्रींकलिंग में विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित पाया गया। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भौतिक रूप से अवगत कराया गया कि अग्रेतर लॉगबुक की रख-रखाव किया जायेगा।

iv. विण्ड ब्रेकिंग वॉल एवं मेटल रोड की व्यवस्था का विवरण—

निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के कुछ भाग पर स्टोन डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण पाया गया। उद्योग परिसर में विण्ड ब्रेकिंगवॉल स्थापित पायी गयी। उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया।

4- उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया। उद्योग में राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित किया गया है।



5- उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के0वी0ए0 क्षमता का एकास्टिक एन्क्लोजर युक्त डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।

6- उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन के अतिरिक्त डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रींकलिंग में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।

7- उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-30.12.2023 को किया गया था। निरीक्षण आख्यानसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के संदर्भ दिनांक-12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H07226/C-2/NGT-67/24दिनांक-19.02.2024 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी बंदी आदेश दिनांक-19.02.2024 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है।

क्रमशः 3/पर....



(3)

- 8-** उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-जी0084/आर-1541/एम0जेड0पी0/सी0टी0ओ0/2024 दिनांक-08.02.2024 द्वारा निर्गत सहमति आदेश संदर्भ संख्या-132853/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/ air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-02.08.2021 एवं संदर्भ संख्या-132855/UPPCB/Sonebhadra (UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-02.08.2021 को रिवोक किया गया है। उद्योग द्वारा पूर्व निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में निरीक्षण के समय पाए गए तथ्यों से परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से पूर्व में जारी सहमति शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।
- 9-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त के आलोक में उद्योग पर धनराशि रू0 9,12,500.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।
- 10-** निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया तथा प्लाण्ट एवं मशीनरी की सील सुरक्षित पायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स न्यू अष्टभुजा स्टोन, ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H07226/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

- I. उद्योग पर डिफाल्टर अवधि हेतु धनराशि रू0 9,12,500.00 की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को तीन माह के अन्दर बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर सिप्रिक्लिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाँटर मीटर)के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।



(यू0के0 गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी